न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या– 32/17

तारीख रज्जू– 06/07/17

ओमप्रकाश पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी बौंली तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर।

निगरानी गुजार (प्रार्थीगण)

बनाम

1 विकास पुत्र राधा मोहन शर्मा ब्राहमण निवासी बौंली तहसील बौंली ।
2 ग्राम पंचायत बौंली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बौंली।

अप्रार्थीगण

निर्णय

दि- 28.8.19

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत बौंली तहसील बौंली के मिसल संख्या 46/88 निर्णय दिनांक 06.09.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति जारी की गई। साथ ही ग्राम पंचायत बौंली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति निर्णय दिनांक 06.09.2004 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते रिकोर्ड तलबी न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा आदेशिका दिनांक 29/03/19 द्वारा तलबी रिकोर्ड पूर्व में ही प्राप्त हो जाने के कारण उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि विपक्षी विकास शर्मा का पिता राधा मोहन एस.डी.आई. रहा है, तथा कई बार बौंली बी.डी.ओ. का चार्ज भी उसके पास रहा है, एवं इस वक्त डी पी ई पी प्रभारी बौंली में तैनात है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जिस समय मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त समय अप्रार्थी सं0 1 नाबालिग था। क्योंकि एस0आर0 रजिस्टर (स्कूल) के मुताबिक अप्रार्थी सं0 1 की उम्र 18 वर्ष से कम थी। अप्रार्थी सं0 1 के आवेदन पत्र में जो सीमाऐं दर्ज है वे नक्शे से मेल नहीं खाती है। दिनांक 20/03/03 की आर्डरशीट में मौका देखा जाने का हवाला किया हुआ है। परन्तु कोई पंचों के नाम या पंचों की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नियुक्ति का कोई आदेश नहीं है, उसके बाद 30/06/03 को मौका देखने का हवाला है। दिनांक 06/09/04 का आदेश भी पुरानी तारीख डालकर अभी लिखा गया है, एवं सारे दस्तखत फर्जी किये गये है। क्योंकि तत्समय विकास नाबालिग था इसलिए अप्रार्थी का कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं होता है। अप्रार्थी का जन्म दिनांक 10/05/85 का प्रमाण पत्र भी हमारे द्वारा पेश किया जा चुका है। ग्राम पंचायत का आदेश 06/09/04 का है। जबकि 05/09/04 को प्रोसेडिग लिख चुके थे। प्रार्थीगण द्वारा भी पूर्व में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। लेकिन प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नहीं सुना गया है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत बौंली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति निर्णय दिनांक 06.09.2004 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 22/10/2002 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद–आरजीयात का पट्टा जारी करने हेतु एवं पुख्ता निर्माण करने हेतु निवेदन किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 26/10/2002 को आपत्ति नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था। उक्त आपत्ति नोटिस पर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी का उक्त वाद आरजीयात पर किसी भी प्रकार का हित निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में दिनांक 17/06/88 को एक आवेदन पत्र उक्त वाद–आराजीयात के संबंध में लगाना बताया है। लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र की कोई प्रति अथवा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात के संबंध में दिनांक 17/06/88 को कोई आवेदन ग्राम पंचायत के किया हो। जिससे स्पष्ट है कि उक्त वाद–आराजीयात पर प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से यह निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी कर तथा मौका देखकर ही उक्त स्वीकृति प्रदान की है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवंटी को नाबालिग होना बताया है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा जब मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति प्रदान की गई थी तब अप्रार्थी अथवा आवंटी बालिग था, साथ ही वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति निर्णय दिनांक 06.09.2004 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में उक्त वाद आराजीयात के संबंध में दिनांक 17/06/88 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया है, लेकिन निगरानीगुजार द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि निगरानीगुजार द्वारा दिनांक 17/06/88 को उक्त वाद आराजीयात के संबंध में एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया हो, साथ ही अदालत मातहत की पत्रावली के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आपत्ति नोटिस जारी कर तथा मौका देखकर कोरम में उपस्थित सदस्यों की सहमति पर ही उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है। निगरानी गुजार ने दौराने बहस अप्रार्थी का जन्म दिनांक 10/05/85 होना बताया है। जिसके अनुसार अप्रार्थी स्वीकृति के समय बालिग था। अतः हमारे अभिमत में निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत बौंली द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी मकान बनाने की स्वीकृति एवं पट्टा देने की स्वीकृति निर्णय दिनांक 06.09.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर